प्रकरण संख्या 61/2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/24	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10.7.2024 को पेश हो।	
10/7/24	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। बहस सुनी गई। अभिभाषक एन0एच0 12 व अभिभाषक (विवेक सूद) ने आदेश दिनांक से पूर्व लिखित बहस पेश किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.7.2024 को पेश हो। आर्बिट्रेटर N.H.-12 (जिला कलेक्टर) टोंक (राज.)	
18/7/24	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। अभिभाषक एन0एच0 12 व अभिभाषक (विवेक सूद) ने लिखित बहस पेश की। आज हम अन्य राज कार्य में व्यस्त रहने से आदेश नहीं सुना सके। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.8.2024 को पेश हो। आर्बिट्रेटर N.H.-12 (जिला कलेक्टर) टोंक (राज.)	
1/8/24	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दोराने बहस निवेदन किया कि खसरा नम्बर 284 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम गुंसी का अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 अनेक व्यक्तियो के नाम जारी किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण कि हिस्से की भूमि ही अवाप्त की गई है। अन्य व्यक्तियो कि भूमि राहोली रोड पर स्थित है। इस कारण उनके हक मे मुआवजा राशि का अवार्ड नही दिया जा सकता है। मुआवजा का निर्धारण मौके पर काबिज भूमि के अनुपात मे निर्धारण कर अलग–अलग चैक बनाया जावे। भारतीय राजमार्ग राष्ट्रीय प्राधिकरण के अभिभाषक ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 संयुक्त जारी किया गया है। प्रार्थीगण को 3 ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी,परन्तु प्रार्थीगण ने कोई आपत्ति समक्ष प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कि है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारित किया जावे। अभिभाषक (विवेक सूद)ने दौराने बहस मे निवेदन किया कि अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 संयुक्त जारी किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा सिविल प्रकृति के विवाद के संबंध मे प्रस्तुत किया गया है,जिसका क्षैत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है,बल्कि धारा 3 (एच)(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत माननीय जिला न्यायाधीश टोंक को क्षैत्राधिकार प्राप्त है।इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य स्वामित्व/बंटवारे के सबंध मे विवाद है। आर्बिट्रेटर N.H.-12 (जिला कलेक्टर) टोंक (राज.) P.T.O	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क है कि अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 अनेक व्यक्तियो के नाम जारी किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण कि हिस्से की भूमि ही अवाप्त की गई है। अन्य व्यक्तियो कि भूमि राहोली रोड पर स्थित मुआवजा का निर्धारण मौके पर काबिज भूमि के अनुपात मे निर्धारण कर अलग–अलग चैक बनाया जावे,परन्तु अवार्ड पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वंत 2059–2062 वाके ग्राम गुंसी तहसील निवाई मे खसरा नम्बर 284 रकबा 15 बिस्वा भूमि मे कुल 16 खातेदारान का नाम है। खातेदारान के मध्य मे उक्त भूमि का तकास्मा/बंटवारा नही होने के कारण सक्षम प्राधिकारी एन. एच–12 द्वारा अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 संयुक्त रूप से जारी किया गया है। खातेदारान के मध्य राशि बाबत विवाद ना होकर स्वामित्व/बंटवारे के सबंध मे विवाद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 मे धारा 3 एच (4) के बिन्दु संख्या 4 मे "यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को,जिसे वह राशि या उसका कोई भाग देय है,के बंटवारे के सबंध मे कोई विवाद उत्पन्न होता है,तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा। भूमि किसके अधिकार क्षेत्र मे स्थित है" का उल्लेख है।

न्यायालय हाजा को "यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को,जिसे वह राशि या उसका कोई भाग देय है,के बंटवारे के सबंध मे कोई विवाद उत्पन्न होता है" तो इस प्रकार के प्रार्थना पत्रो को सुनने का क्षैत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार नही है। प्रार्थीगण समक्ष न्यायालय मे चारा–जोही करने हेतु स्वंतत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)